

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार भीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 94/2015 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955  
स्नेहलता पिता कुन्दनमल पत्नी गोपाललाल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ हा.मु. भीलवाड़ा  
-वादीया

-: बनाम :-

- 1- शान्तीलाल पिता कुन्दनमल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- पुष्करलाल पिता कुन्दनमल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- देउ बाई पिता कुन्दनमल पुरोहित पत्नी मोडुलाल ब्राहमण नि. सदर बाजार रावतभाटा
- 4- शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- स्नेहलता पुत्री कुन्दनमल पुरोहित हिस्सा पूर्ण सा. देह. खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
725	0.03	0.57
726	0.02	-
727	0.07	0.49
728	0.40	7.60
729	0.04	0.28
842	0.38	2.66
845	0.60	7.80
848/1	0.1150	1.4950
<b>कुल 8</b>	<b>1.6550</b>	<b>20.8950</b>

2- देउबाई पुष्करलाल शान्तीलाल पिता कुन्दनमल हिस्सा बराबर पुरोहित सा.देह. खातेदार

आ.न.	रकबा	लगान
848/2	0.2650	3.4450
526	0.02	0.14
527	0.45	5.85
528	0.02	0.14
749	0.03	0.21
750	0.50	9.50
751	0.01	0.19
752	0.01	0.19
753	0.01	0.19
754	0.05	0.95
756	0.01	0.19
760	0.01	0.19
761	0.03	0.57
839	0.16	1.12
840	0.37	2.59



PTO


सहायक कलेक्टर  
बड़ीसादड़ी

841	0.06	0.42
843	0.06	0.42
846	0.33	2.31
847	0.01	—
849	0.43	05.59
850	0.79	10.27
851	0.70	09.10
852	0.64	04.48
<b>कुल 23</b>	<b>4.9650</b>	<b>58.0550</b>

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



  
 प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
 सहायक कलेक्टर  
 बड़ीसादड़ी


न्यायालय सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/227

दिनांक : 16/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



  
 सहायक कलेक्टर  
 बड़ीसादड़ी

## निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 94/2015 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955  
स्नेहलता पिता कुन्दनमल पत्नी गोपाललाल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ हा.मु. भीलवाड़ा  
-वादीया

-: बनाम :-

- 1- शान्तीलाल पिता कुन्दनमल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- पुष्करलाल पिता कुन्दनमल पुरोहित ब्राहमण नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- देउ बाई पिता कुन्दनमल पुरोहित पत्नी मोडुलाल ब्राहमण नि. सदर बाजार रावतभाटा
- 4- शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी
- 5- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- स्नेहलता पुत्री कुन्दनमल पुरोहित हिस्सा पूर्ण सा. देह. खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
725	0.03	0.57
726	0.02	-
727	0.07	0.49
728	0.40	7.60
729	0.04	0.28
842	0.38	2.66
845	0.60	7.80
848/1	0.1150	1.4950
<b>कुल 8</b>	<b>1.6550</b>	<b>20.8950</b>

- 2- देउबाई पुष्करलाल शान्तीलाल पिता कुन्दनमल हिस्सा बराबर पुरोहित सा.देह. खातेदार

आ.न.	रकबा	लगान
848/2	0.2650	3.4450
526	0.02	0.14
527	0.45	5.85
528	0.02	0.14
749	0.03	0.21
750	0.50	9.50
751	0.01	0.19
752	0.01	0.19
753	0.01	0.19
754	0.05	0.95
756	0.01	0.19
760	0.01	0.19
761	0.03	0.57
839	0.16	1.12
840	0.37	2.59
841	0.06	0.42
843	0.06	0.42

PTO

सहायक कलेक्टर  
बड़ीसादड़ी

2- देउबाई पुष्करलाल शान्तिलाल पिता कुन्दनमल हिस्सा बराबर पुरोहित सा.देह. खातेदार


आ.न.	रकबा	लगान
848/2	0.2650	3.4450
526	0.02	0.14
527	0.45	5.85
---	0.00	0.00
846	0.33	2.31
847	0.01	—
849	0.43	05.59
850	0.79	10.27
851	0.70	09.10
852	0.64	04.48
<b>कुल 23</b>	<b>4.9650</b>	<b>58.0550</b>

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



  
प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बडीसादडी